SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member will put the record on the Table. It is the decision referred to by him. You have made reference to a decision. Put it on the Table of the House. Dr. Laxmikant Bajpayee.

Need to operationalise regional airports as per commitments made under Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAAN) scheme

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं। मेरठ में वर्ष 2014 में भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी। उसके बाद मेरठ में आरसीएस योजना में छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। सर, 1,500 मीटर की हवाई पट्टी है, जब उस पर ज़ूम एयरवेज़ की बिड हो गई, 40 सीटर उड़ाना तय हो गया, उसके बाद अधिकारियों ने गड़बड़ करके वहां पर एटीआर 72 के लिए बात करनी शुरू कर दी। वर्ष 2014 से एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास किसानों की ज़मीन आरक्षित है और 5,800 रुपये रेट तय किया गया है। उसमें न किसानों की ज़मीन ली जा रही है और न ही एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि अब अधिकारियों ने एक नई बात कही है कि 270 सीटर हवाई जहाज़ उड़ाएंगे। मेरठ से कभी भी 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आर्थिक वाइएबिलिटी नहीं है। वहां से एटीआर 72 उड़ा दें और फिर आवश्यकता होगी, तो बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ा लें। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद, मेरठ से जालंधर और जम्मू के लिए चार छोटे जहाजों की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं सदन और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल आरसीएस योजना, जिसमें छोटे एयरक्राफ्ट उड़ाने की बात तय हुई थी, उसको 6 महीने के भीतर उड़ाएं। वहां पर टर्मिनल भवन तैयार है, 15 सौ मीटर हवाई पट्टी है, 300 मीटर हवाई पट्टी के लिए किसानों की जमीन आरक्षित है। अगर उसको 300 मीटर बढ़ा दें, तो एटीआर 72 उड़ जाएगा और 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने की जो कल्पना है, इसमें अधिकारी धोखा दे रहे हैं और 1857 की क्रांति नगर मेरठ के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**... मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Frequent road accidents on NH-03 near Ganesh Ghat in Dhar District of Madhya Pradesh

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। नर्मदे हर! माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और विगत आठ वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। दुर्घटनाएं सामान्यत: होती हैं, लेकिन किन्हीं निश्चित स्थानों पर होना गंभीर चिंता का विषय है।